UPBB010065942021

न्यायालय**: विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** न्यायालय सं**.04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

आदेश पत्र

दिनांक: 26–07–2024

सत्र परीक्षण प्रस्तुत हुआ। अभियुक्तगण रिंकू उर्फ नन्द किशोर, संगम भास्कर, राजेन्द्र कुमार, मृदुला आनन्द, तूफानीराम एवं रामसिंह का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत। आज हेतु स्वीकृत। डा० विजय एवं अमित कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 253 ब नियत है। प्रार्थनापत्र 253 ब अभियुक्त डा० विजय की ओर से इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी ने विधि के समक्ष धार्य युक्त उचित निवेदन प्रार्थनापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के साथ तर्क के सहित प्रस्तुत किया था परन्तु श्रीमान् जी आधारों से सन्तुष्ट नहीं हुए और प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। प्रार्थी इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत आदेश की नकल हेतु त्वरित रूप से आदेश की अगले कार्यदिवस नकल सवाल सं.58/18/07/24 प्रस्तुत किया था जिसकी नकल प्राप्त नहीं हो सकी है तथा आदेश की प्रति 'नेट' पर भी अपलोड नहीं दिख रही है जिससे आवश्यक प्रार्थनापत्र विधिनुसार तैयार करने में समय लग रहा है। ऐसी दशा में न्यायालय की मंशा के दृष्टिगत अग्रिम न्यायालय पर अपनी बात रखने एवं विधिनुरूप उसकी सुनवाई करने की प्रक्रिया में लगने वाले सम्भावित समय के दृष्टिगत साक्षी पी०डब्लू० 4 के जिरह/साक्ष्य की कार्यवाही संचालन को तबतक स्थगित रखा जाना नयायहित में आवश्यक है ताकि मुकदमें के निष्पक्ष एवं स्वच्छ विचारण की मंशा सुरक्षित रहे और प्रार्थी के साथ पूर्ण न्याय होने की सम्भावना बनी रहे। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की गयी कि चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 4 की शेष जिरह तथा कार्यवाही को श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–07–2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उचित उपचार प्राप्त करने हेतु इस साक्षी की साक्ष्य की कार्यवाही को तब तक के लिये स्थगित करने की कृपा की जाये।

प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति कागज सं.ब 260 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के अधिवक्ता महोदय के

द्वारा जानबूझ कर विचारण को रोकने का प्रयास तथ्यहीन बातों को दर्शा कर किया जा रहा है। दिनांक 16–07–2024 को इस बारे में आदेश पारित किया जा चुका है तथा कार्यवाही स्थगित करने के सम्बंध में प्रार्थनापत्र निरस्त हो चुका है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महोदय द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र 253 ब निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त डा० विजय की ओर से पूर्व में प्रार्थनापत्र 243 ब चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० बृजेश कुमार श्रीवास्तव की जिरह स्थगित करने हेतु दिया गया था जिस पर दिनांक 16–07–2024 को न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थनापत्र ब 253 में अभियुत डा० विजय का यह कथन है कि आदेश दिनांक 16–07–2024 के विरूद्ध अग्रिम न्यायालय पर अपनी बात रखने एवं विधिनुसार सुनवाई कराने की प्रक्रिया में लगने वाले सम्भावित समय के दृष्टिगत साक्षी पी०डब्लू० 4 की जिरह/साक्ष्य की कार्यवाही संचालन को तब तक के लिये स्थगित रखा जाये। स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–07–2024 को आज तक किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया गया है, ना ही इस वाद की कार्यवाही को ही स्थगित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Case PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No.–2753 OF 2023 In Re Designated Courts For Mps/Mlas Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 24–11–2023 के पैरा 4(d)** में यह निर्देशित किया गया है कि **"The special courts shall not adjourn the cases except for rare and compelling reasons."** जहांतक प्रार्थनापत्र में दिये गये आधार का प्रश्न है, प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने एवं आदेश प्राप्त करने तक के लिये कार्यवाही स्थगित की जाये तो इस सम्बंध में प्रार्थी उच्चतर न्यायालय में अपना प्रत्यावेदन विधिनुसार प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० बृजेश कुमार श्रीवास्तव की जिरह स्थगित किये जाने के सम्बंध में प्रार्थनापत्र 243 ब दिनांक 16–07–2024 को निरस्त किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान मामले की कार्यवाही स्थगित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 253 ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 डा० बृजेश कुमार श्रीवास्तव दिनांक 02–08–2024 को पेश हो। नियत तिथि हेतु चिकित्सक साक्षी को सम्मन जारी हों।

दिनांक 26–07–2024

(कमल कान्त श्रीवास्तव **)**
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।